कम्प्यू० नं० 1718078 / 2-1-2018

पत्र संख्या- / कमि0वा0क0(निरीक्षण अनुभाग)/ 2017-18/ 722 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर,मुख्यालय, लखनऊ

(निरीक्षण अनुभाग)

दिनांक:: लखनऊ :::: 02,जनवरी, :::2018

समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर(टैक्स आडिट)

वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश।

टैक्स आडिट मैनुअल के अध्याय-7 के प्रस्तर-3 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार प्रतिकूल टैक्स आडिट रिपोर्ट से सम्बन्धित करनिर्धारण आदेश की प्रति ज्वाइन्ट कमिश्नर (टैक्स आडिट) को प्राप्त होने पर की जाने वाली कार्यवाही पर निम्न प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं :-

1- ज्वाइन्ट कमिश्नर (टैक्स आडिट) कर निर्धारण आदेश का अध्ययन करते हुए यह देखेंगे कि इसमें टर्नओवर एवं कर का निर्धारण आडिट रिपोर्ट में उल्लिखित तथ्यों के अनुरुप किया गया है, अथवा नहीं।

2- यदि करनिर्धारण आदेश में टर्नओवर एवं कर का निर्धारण आडिट रिपोर्ट में उल्लिखित तथ्यों के अनुरुप ही किया गया है तो ज्वाइन्ट कमिश्नर(टैक्स आडिट)करनिर्धारण आदेश को आडिट पत्रावली में पत्रावलित कर देंगे।

3- यदि ज्वाइन्ट कमिश्नर(टैक्स आडिट) द्वारा यह पाया जाता है कि कर निर्धारण आदेश में निर्धारित टर्नओवर व कर आडिट रिपोर्ट के अनुरुप नहीं है तो वह इसकी स्पष्ट एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट जोनल एडीशनल कमिश्नर को प्रेषित करेंगे। यह कार्यवाही उस दशा में की जायेगी जब ज्वाइन्ट कमिश्नर (टैक्स आडिट) को सन्दर्भित मामलों में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ज्वाइन्ट कमिश्नर (टैक्स आडिट)के निर्देशों के अनुरुप कर निर्धारण की कार्यवाही नहीं की गयी है।

4- ज्वाइन्ट कमिश्नर (टैक्स आडिट) से उक्त प्रकार की रिपोर्ट प्राप्त होने पर जोनल एडीशनल कमिश्नर अपने स्तर से मामले का परीक्षण करेंगे एवं करनिर्धारण अधिकारी को विधि अनुकूल कार्यवाही हेतु निर्देशित करने के अतिरिक्त अधिकारी के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही करने के सम्बन्ध में भी निर्णय लेंगे।

अतः उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि वर्ष-2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 के ऐसे प्रतिकूल पाये गये समस्त मामलों में निम्न प्रारुप में दिनांक-05-01-2018 तक वर्षवार सूचना मुख्यालय के निरीक्षण अनुभाग की मेल आई0डी0 Jcinspectionhqlu.up@gmail.com पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें :-

// प्रारुप //

1	2	3	4	5
क्रमॉक	करनिर्धारण वर्ष	कुल चयनित टैक्स आडिट व्यापारियों की संख्या	प्रेषित टैक्स आडिट रिपोर्ट में प्रतिकूल मामलों की संख्या	कालम -4 में से टैक्स आडिट रिपोर्ट में अंकित तथ्यों के प्रतिकूल किये जाने वाले करनिर्धारण आदेशों की संख्या (व्यापारीवार पूर्ण विवरण संलग्न किया जाय)

(विवेक कुमार)
एडीशनल कमिश्नर (जी0एस0टी0)
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश,लखनऊ।